

—:: विज्ञापन ::—

(सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पदों की पूर्ति हेतु)

छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय का ज्ञाप क्रमांक एफ 4-18/2014/35/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18.08.2022 द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधीन सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 150 रिक्त पदों की पूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जाकर किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के परिपेक्ष्य में विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट [www.vyapam.cgstate.gov.in](http://www.vyapam.cgstate.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन व्यापम की वेबसाइट पर दिनांक 12.05.2023 पर शाम 05.00 बजे से उपलब्ध होंगे। रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :-

कं	श्रेणी	पदनाम	वेतनमान	आरक्षण रेस्टर अनुसार रिक्त पदों की स्थिति					
				विवरण	अ ना र क्षि त	अ ज ना	अ जा	अ पि व	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक संवर्ग	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 6 RS.25300-80500-	अनारक्षित	32	30	10	12	84
				महिला	18	15	5	5	43
				निःशक्तजन (OL, HH)	5	3	1	1	10 (OL)-5, (HH)-5
				भूतपूर्व सैनिक	6	5	1	1	13
				योग	61	53	17	19	150

**नोट :-**

- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र. /1-3, नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में निहित निर्देशानुसार उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
- उपरोक्त नियुक्तियों में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत परिवीक्षा अवधि में कमशः प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा।
- व्यापम द्वारा उक्त पदों के लिये परीक्षा आयोजित की जायेगी, विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, परीक्षा तिथि, परीक्षा शहर आदि संबंधी जानकारी व्यापम के वेबसाइट <http://vyapam.cgstate.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।

3/5

5. विज्ञापित पदों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की स्थिति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.03.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रिक्तियां निर्धारित की गई हैं।

**नियम एवं शर्तें :-**

**1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-**

- (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/संस्था से (10+2) परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण।

**अथवा**

पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

- (2) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था से पशु पालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

2. **आयु सीमा** – उम्मीदवार की आयु दिनांक 1.1.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला/ विधवा/ परित्यक्ता तथा तलाकशुदा आदि को अधिकतम आयु सीमा में शासन द्वारा नियमानुसार देय अतिरिक्त छूट का लाभ प्राप्त होगा।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित (सत्यापित) छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उम्मीदवारों को अपनी आयु के सत्यापन हेतु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/ अंकसूची की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर मैरिट सूची के अनुसार किया जावेगा।
7. चयनित उम्मीदवार को उपस्थित होते समय विभाग में 3 वर्ष तक सेवा करने का अनुबंध पत्र अभ्यर्थियों को भरना होगा, साथ ही अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वस्थ होने का प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेखनीय हो कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से इस पद हेतु उपयुक्त है संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा।
8. चयन के संबंध में संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ रायपुर का निर्णय अंतिम होगा, इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार मान्य किये जाने का अधिकार संचालक को होगा।
9. सभी नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी होंगी।
10. आवेदक की पदस्थापना रिक्त पद उपलब्धतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में की जा सकती है।

*3/10* *18*